

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 163/2019 (धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन)

ए यू स्माल फाईनेन्स बैंक लि., रजिस्टर्ड आफिस 19-ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर एवं ए यू  
स्क्वायर बी-11 -ई, मालवीय नगर इण्डिस्ट्रीज एरिया, जयपुर ।

प्रार्थी बैंक

बनाम

1. पप्पूराम शर्मा पुत्र हनुमान सहाय शर्मा
2. श्रीमती गीता देवी पत्नी पप्पूराम शर्मा  
निवासी 89 आंधी, नारनोलिया मोहल्ला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण  
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and  
reconstruction of financial assets and enforcement of security  
interest Act.2002.

उपस्थित:-श्री मनोज कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय बैंक की ओर से ।

आदेश

दिनांक 12-9-2019



1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 31.03.2016 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री श्रीमती गीता देवी के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. 89, आंधी, नारनोलिया मोहल्ला, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर क्षेत्रफल 253 वर्गगज को बन्धक रख कर 5,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.10.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने

The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायहित में ऋणी को सूचना पत्र रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर)  
जयपुर

उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.10.2018 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके अतिरिक्त दो समाचार पत्र क्रमशः इण्डियन एक्सप्रेस एवं दैनिक नव ज्योति में दिनांक 01.12.2018 को धारा 13(2) का नोटिस प्रकाशित कराया गया है। इसके बावजूद ऋणी द्वारा बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराई गई है। नोटिस प्रकाशित समाचार

पत्रों की फोटोप्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी वित्तीय बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्री श्रीमती गीता देवी के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति प्लॉट नं. 89, आंधी, नारनोलिया मौहल्ला, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर क्षेत्रफल 253 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।



5. आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफतर हो।
6. आदेश आज दिनांक 12-9-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जयसिंह सिंह यादव)  
**जिला मजिस्ट्रेट**  
 (कलक्टर) जयपुर